

प्रारूप - 37परियोजना का नाम - भटाड़ पेयजल योजनाधार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है, तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण शाखा, ^{ह0} उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
प्रयोक्ता एजन्सी
विकासनगर, नियर पुल न0-1

ह0/-
जिलाधिकारी